संख्या– 378 /26–ब0प्र0–2013–25(खा)/2009

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांकः 16 मई, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (एस0सी0एस0पी0) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक–05/खा0ग्रा0बो0/बजट/प्रशि0अनु0/2013–14 दिनांक 03.04.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 में प्राविधानित धनराशि रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) मे से 50 प्रतिशत रू0 37.50 लाख (रू0 सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फाट के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

3– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640/दस–2013–231/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयेाग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 के मानक/दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगें ।

5– उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–07–कौशल सुधार प्रशिक्षण–27– सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

6– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–640/दस–2013–231/2013, दिनांक 28.03.2013 में की गई व्यवस्थानुसार जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः: यथोक्त ।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या– 378 (1)/26–ब0प्र0–2013–तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/नियोजन अनु0–4
6– औद्योगिक विकास अनुभाग–3/गार्डफाइल

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव ।

शासनादेश संख्या- 378 /26-ब0प्र0-2013-25(खा)/2009, दिनांक 18 मई, 2013 का संलग्नक।

धनराशि (लाख रू0 में)

क्रमांक	केन्द्र का नाम व पता	स्वीकृत धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	4.00	200
2	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	3.00	150
3	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	2.50	125
4	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवा, इलाहाबाद	3.50	175
5	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अहोपट्टी, आजमगढ़	2.50	125
6	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, धर्मागतपुर रतनपुरा, मऊ	2.50	125
7	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन	5.50	275
8	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहांपुर	3.00	150
9	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा	4.00	200
10	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	7.00	350
	योग	37.50	1875

(रू0 सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव ।